

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

एस.बी.सिविल याचिका संख्या 9605/2021 नितेश कुमार बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.07.2021 में अप्रार्थीगण को याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को कन्सीडर कर आस्थात्मक आदेश के जरिए निस्तारित करने के निर्देश दिये गए।

याचिकार्थी ने अपने अभ्यावेदन में मुख्य रूप से यह कथन किया है कि याचिकार्थी वर्तमान में राजकीय माध्यमिक विद्यालय, जाटीशिव, मानसागर, ब्लॉक-बावड़ी जिला-जोधपुर में वरिष्ठ अध्यापक (संस्कृत) के पद पर कार्यरत है। याचिकार्थी के कथनानुसार वह दिव्यांग/निश्चयत है, जिसके कारण उठने बैठने चलने फिरने में तथा दूर की यात्रा करने में बहुत कठिनाई होती है। अतः याचिकार्थी ने अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अपनी शारीरिक व पारिवारिक परिस्थितियों के आधार पर जोधपुर जिले (जोधपुर मण्डल) से गृहजिला नागौर (अजमेर मण्डल) में शहीद सुरेन्द्र सिंह राजमार्ग हुडिल (219922) या राजमार्ग टोडास (219977) ब्लॉक-कुचामन, जिला-नागौर में पदस्थापन करने की मांग की है।

याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.07.2021 के परिप्रेक्ष्य एवं विभागीय नियमों, अभिलेखीय व नीतिगत स्थिति के सम्बन्ध में गहन अवलोकन व परीक्षण किया गया। राजस्थान शिक्षा अधीनरथ सेवा नियम-1971 के अनुसार वरिष्ठ अध्यापक का पद मण्डल स्तर का पद है, जिराका सक्षम नियुक्ति अधिकारी संबंधित मण्डल का संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा है। रोस्टर का संधारण संबंधित नियुक्ति अधिकारी द्वारा ही किया जाता है। वरिष्ठ अध्यापक का पद मण्डल कैडर का होने के कारण मण्डल परिवर्तन कर रथानान्तरण करने से विभाग का मण्डल रत्तरीय रोस्टर प्रभावित होता है। वरिष्ठ अध्यापक के पद मण्डल में उपलब्ध रिक्तियों वर्गवार/मण्डलवार ही विज्ञापित किये जाते हैं एवं घयनित अभ्यर्थियों को मण्डलवार व वर्गवार ही नियुक्ति दी जाती है। अन्य मण्डल में रथानान्तरण कर वरिष्ठ अध्यापक के पद मण्डल में उपलब्ध पदों के विरुद्ध पदस्थापन का अनुपात असंतुलित हो जाएगा जिससे अव्यवस्था होगी स्थानिक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जो कि छात्र हित एवं विभाग के अद्विकूल नहीं है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा भी एस.बी.सिविल याचिका संख्या 11311/2015 द्वेषादा बनाम सरकार में यह निर्णय पारित किया है कि "the appointment can be claimed as a matter of right but posting can not be claimed as a matter of right because it is the prerogative of the employer to take work from the employee as per availability of post." इस प्रकार कार्मिक द्वारा इनिष्टेट रथान या रथानान्तरण की मांग अधिकारस्वरूप नहीं की जा सकती। कार्मिक की पारिवारिक परिस्थितियों के आधार पर कार्मिक के पक्ष में रथानान्तरण का अधिकार सूजित नहीं होता है। कार्मिक द्वारा रथानान्तरण हेतु वर्णित परिस्थितियों का विभागीय व्यावरथा एवं नियमों के परिप्रेक्ष्य में ही विचास किया जा सकता है। विभाग द्वारा प्रशासकीय व्यावरथा, रक्ष्यहित, लोकहित व छात्र हितों को ध्यान में रख कर ही रथानान्तरण किए जाते हैं। याचिकार्थी द्वारा अभ्यावेदन में अपनी शारीरिक व पारिवारिक परिस्थितियों के आधार पर अन्तर मण्डल स्थानान्तरण हेतु की जा रही माम तरह संगत एवं न्यायसंगत नहीं है। उक्तानुसार इस मांग को अर्हीकृत की जाकर याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन निस्तारित किया जाता है।

सत्यमेव जयते

(काना राम)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,


राजस्थान, बीकानेर

दिनांक:- ०५/०८/२०२१

क्रमांक:- रिविरा-ना. / संख्या / एफ-२ / को.के. / जोध / 13124 / 2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जोधपुर संभाग, जोधपुर
2. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) विधि, जोधपुर
3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक, जोधपुर
4. सिरटम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
5. संयुक्त विधि परामर्शी, कार्यालय हाजा
6. याचिकार्थी नितेश कुमार, व.अ. (संस्कृत), रामावि, जाटीशिव, मानसागर, ब्लॉक-बावड़ी जिला-जोधपुर (रजिस्टर्ड)
7. रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)